[2021] 2 एस. सी. आर 59

विश्वास भंडारी

वी.

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 105)

फरवरी 03,2021

[हेमंत गुप्ता और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482 शिकायत दर्ज की गई

एफ. आई. आर. और बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि न तो अभियोजक ने और न ही शिकायतकर्ता ने अभियोजक के अपहरण के संबंध में उसके खिलाफ आरोप लगाया-उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। अभियोजक का साक्ष्य और अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता ने दिखाया कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं था-मुख्य आरोप 'वी' के खिलाफ था, लेकिन अभियोजक ने उससे शादी की और उस विवाह से दो बच्चों को जन्म दिया-इस प्रकार, अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी आरोप और सबूत के अभाव में, उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं था

-

उसके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी जाती है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. मुख्य आरोप 'वी' के खिलाफ था लेकिन

अभियोजक ने उससे 4.8.2013 पर शादी की और उस शादी से दो बच्चों को जन्म दिया था। किसी भी आरोप के अभाव में

अपीलार्थी के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखना और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। चूंकि अपीलार्थी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए प्राथमिकी के आधार पर उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही असमर्थनीय होगी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय अपीलार्थी के खिलाफ याचिका को खारिज करने में उचित नहीं था। [पैरा 9,10] [62-सी-डी]

2021] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का सं. 105

2020 के सी. आर. एम.-एम. 24722 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 16.10.2020 के निर्णय और आदेश से [ओ. एंड. एम.]

विराज कदम, सुश्री सौम्या दत्ता, श्रीमती प्रियता चक्रवर्ती, अजैविर सिंह, आभास क्षेत्रपाल, सिद्धार्थ झा, गजाब सिंह चौहान, सुश्री.

जसप्रित गोगिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

न्याय

छुट्टी दे दी गई।

1. वर्तमान अपील में चुनौती पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 16.10.2020 के आदेश को दी गई है, जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 को खारिज कर दिया गया था।

2. मोहनजीत सिंह की पत्नी रश्मि अदेन ने धारा 363 और 366-ए के तहत अपराधों के लिए 31 तारीख की एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

भारतीय दंड संहिता, 1860 2. आरोप थे कि उनकी सबसे बड़ी बेटी, साढ़े 17 साल की उम्र में, लगभग 1 बजे 23.1.2013 पर अपने घर से बाहर चली गई थी।

12 शिकायतकर्ता और उसके पति की अनुपस्थिति में दोपहर। यह अनुमान लगाया गया था कि विक्रम रूप राय और वर्तमान अपीलार्थी ने शादी का लालच देकर उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। 3. जाँच पूरी होने पर विक्रम रूप राय के खिलाफ धारा 173 संहिता के तहत एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके अलावा, अपीलार्थी को घोषित अपराधी घोषित करने की कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

4. अदालत के समक्ष कार्यवाही में, शिकायतकर्ता पेश हुई और अपने आरोपों को सीमित करते हुए अपना बयान दर्ज किया

केवल विक्रम रूप राय का। जिरह में, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रभाव बतायाः

" मेरी बेटी ने 4 अगस्त 2013 को आरोपी विक्रम के साथ शादी कर ली है और दोनों परिवारों ने उक्त शादी खेड़ा रोड, फगवाड़ा के गुरुद्वारा साहिब में की थी। मैंने उक्त शादी में भाग लिया है, हमने सीडी तैयार की है और शादी की तस्वीरें भी खींची हैं।

1 1 संक्षेप में, 'संहिता' 2 संक्षेप में, 'आई. पी. सी.' विश्वास भंडारी बनाम।

शादी ने कहा। इसके बाद फगवाड़ा के पूनम होटल में दोपहर का भोजन परोसा गया। शादी के बाद मेरी बेटी और आरोपी विक्रम हमारे साथ रहे।

5. अभियोजक पीडब्लू-2 के रूप में पेश हुआ। उसने अपदस्थ कर दिया कि आरोपी विक्रम रूप राय ने उससे शादी करने का वादा किया था।

वह उसे अपने माता-पिता के घर ले गया और उसे 18 साल की उम्र तक अपने घर में रखा और उसके बाद ही उसके माता-पिता से संपर्क किया। यह 24.7.2013 पर था कि आरोपी विक्रम रूप राय ने उसके माता-पिता को फोन किया और यह निर्णय लिया गया कि वे दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद, उसने 4.8.2013 पर आरोपी से शादी कर ली।

6. विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांकित 13.8.2013 आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि न तो शिकायतकर्ता और न ही अभियोजक ने

जन्म की सही तारीख का खुलासा किया। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था कि अपहरण की घटना की कथित तिथि पर अभियोजक की आयु 18 वर्ष से कम थी। विद्वत विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज कियाः

" 21. हालाँकि अभियोजक पीडब्लू2 ने अपनी जाँच में कहा है कि आरोपी ने शादी करने के बहाने उसका अपहरण कर लिया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कैसे और कहाँ उसका अपहरण किया गया था। मान लीजिए कि यह उसके द्वारा कहा गया है जो उसे ज्ञात था। इस गवाह के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने आरोपी के चंगुल से बचने की कोशिश की या उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। भले ही यह माना जाए कि अभियोजक नाबालिग था, लेकिन अगर वह हर मामले में अपने माता-पिता का घर छोड़ देती है तो यह नहीं माना जा सकता है कि यह आरोपी है जिसने संभवतः अभियोजक का अपहरण किया है। अभियोजक अभियुक्त को जानता था, उसके साथ गया, दोनों परिवारों की सहमति से उससे शादी की, उसके साथ दो बच्चे थे, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसे उसके वैध अभिभावक की हिरासत से जबरन बाहर निकाला गया था, क्योंकि यह साबित नहीं होता है कि वह नाबालिग है क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया था।

जन्म और मृत्यु पंजीयक, जालंधर द्वारा जारी किया गया आदेश इस धारणा को जन्म देता है कि इससे वह बालिग साबित हो सकती थी और इसलिए अभियोजन पक्ष के बयान में संदेह पैदा हो जाता है, जिसका लाभ आरोपी को दिया जाना है।

इन निष्कर्षों के साथ, आरोपी विक्रम रूप राय को बरी कर दिया गया।

7. इसके बाद, अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ, [2021] 2 एस. सी. आर., एफ. आई. आर. और बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।

इस आधार पर कि न तो अभियोजक ने और न ही शिकायतकर्ता ने अभियोजक के अपहरण के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ आरोप लगाया है। वास्तव में, अभियोजक ने मुख्य आरोपी विक्रम रूप राय से शादी की और उसके दो बच्चे थे। इस तरह की शादी उनके परिवारों की सहमति से हुई थी। चूँकि अपीलार्थी के खिलाफ सबूत का कोई टुकड़ा नहीं है, इसलिए अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

8. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

9. हम पाते हैं कि अदालत के समक्ष अभियोजक और शिकायतकर्ता के साक्ष्य से पता चलता है कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है अपीलार्थी। मुख्य आरोप विक्रम रूप राय के खिलाफ था लेकिन अभियोजक ने उससे आईडी1 पर शादी की और उस शादी से दो बच्चों को जन्म दिया था। अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी आरोप के अभाव में, हम पाते हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखना कुछ और नहीं है

कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग।

10. चूंकि अपीलार्थी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए प्राथमिकी के आधार पर उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही असमर्थनीय होगी। द हाई

इस प्रकार, अपीलार्थी के खिलाफ याचिका को खारिज करने में न्यायालय उचित नहीं था।

11. इसलिए, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप पूरी कार्यवाही

2013 की एफ. आई. आर. सं. 31 और आरोप पत्र को रद्द कर दिया गया।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई